पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(111)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग -2707-8/2016

प्रताप पिता धुलजी जाति जाट उम्र 36 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम सलकनपुर तह0 व जिला धार

...........निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हाजा

ग्राम सलकनपुर तह0 व जिला धार

2- सुभाष पिता शंभु जाति जाट उम्र वयस्क

3- गोपाल पिता शंभु जाति जाट उम्र वयस्क

क्र. 2 व 3 का धंधा खेती निवासी ग्राम सेमलिया

तहसील बदनावर जिला धार ....विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम सलकनपुर तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 87, 109, 111, 159, 161, 325, 791, 556 रकबा क्रमशः 0.493 हैक्टर, 2.187 हैक्टर, 1.101 हैक्टर, 0.721 हैक्टर, 0.658 हैक्टर, 0.228 हैक्टर, 0.114 हैक्टर होकर कुल सर्वे नंबर 09 कुल रकबा 6.223 हैक्टर होकर उक्त भूमि काशीबाई बेवा धूलजी व अन्य के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रही है। उक्त भूमि के संबंध में काशीबाई बेवा धुलजी जाट ने विधिक रूप से वसीयतनामा दिनांक 30.12.2014 को गवाह ललित प्रसाद व बाबूलाल जाट के समक्ष 100 रू के स्टाम्प पर अपनी इच्छा जाहिर कर प्रताप पिता धुलजी जाट के पक्ष में निष्पादित कर दिया। अपना फोटो चस्पा करा दिया व तत्पश्चात दिनांक 18.01.2015 को काशीबाई फौत हो गई। काशीबाई के फौत हो जाने के बाद विधिक रूप से निगरानीकर्ता द्वारा अपना नाम दर्ज कराने हेतु धारा 109, 110 म0प्र0 भूरासं मुजब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 33/अ-6/2014-15 है, जिसमें काशीबाई की लडकी के लडके सुभाष व गोपाल ने आपत्ति की निराधार आपत्ति की। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं के साक्ष्य व वसीयत के दोनो गवाह के शपथ पत्र पेश किये गवाह कराने हेतु शपथ पत्र पेश किया है। निगरानीकर्ता सदैव अपनी साक्ष्य कराने हेतु तत्पर रहा परंतु श्रीमान तहसीलदार महादेय वृत्त तिरला जिला धार द्वारा दिनांक ....को निगरानीकर्ता के गवाह के शपथ पत्र रिकार्ड पर होते हुए उन्हे पर्याप्त साक्ष्य का अवसर दिये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2707-पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	